प्रेस नोट- थाना मिर्जापुर

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक- 05.08.2026

थाना मिर्जापुर पुलिस की बड़ी सफलता, जान से मारने की नीयत से किन्नर समाज के लोगों पर फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल करने की घटना में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध तमंचे व कारतूस बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदया के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष मिर्जापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के अंतर्गत जुर्म-जरायम की रोकथाम, चोरी, लूट, अवैध शराब एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री की रोकथाम तथा ऑपरेशन तलाश के तहत वांछित एवं वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.07.2026 को वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जान से मारने की नीयत से वादी की गाड़ी रोककर तमंचे से फायर करने तथा वादी के गुरु सोनम किन्नर एवं राहुल को गंभीर रूप से घायल कर देने के संबंध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0-164/2026, धारा 191(2), 191(3), 126(2), 109(1) बीएनएस बनाम 1. चांदनी, 2. राघवेन्द्र, 3. आसिफ, 4. सुमित एवं 5. अमित पुत्रगण नामालूम, निवासीगण ग्राम हजरतपुर, थाना हजरतपुर, जनपद बदायूँ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। मुकदमे में नामित अभियुक्तगण लगातार फरार चल रहे थे। विवेचना के क्रम में अभियुक्तगण 1. आदेश उर्फ धीरू तिवारी पुत्र गंगासेवक निवासी कस्बा व थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहाँपुर, 2. अताब अली पुत्र श्यामुद्दीन निवासी ग्राम नब्बी नगला, थाना कादर चौक, जनपद बदायूँ तथा 3. रवि उर्फ रविया उर्फ हजरत पुत्र अवरीन निवासी ग्राम अंगूरी, थाना सुभाष नगर, जनपद बरेली का नाम प्रकाश में आया। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत उच्चाधिकारीगण के निर्देशानुसार अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। इसी क्रम में दिनांक 04.08.2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने, संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग, वांछित अभियुक्तों की तलाश तथा अपराध की रोकथाम हेतु गश्त पर मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त 1. आदेश उर्फ धीरू तिवारी पुत्र गंगासेवक निवासी कस्बा व थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहाँपुर तथा 2. अताब अली पुत्र श्यामुद्दीन निवासी ग्राम नब्बी नगला, थाना कादर चौक, जनपद बदायूँ को कोलाघाट पुल, रामगंगा नदी के पास स्थित कच्चे रास्ते से समय करीब 22:37 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्तगणों के कब्जे से 02 अदद देशी तमंचे .315 बोर, 03 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5) बीएनएस एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्तगणों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. आदेश उर्फ धीरू तिवारी पुत्र गंगासेवक निवासी कस्वा व थाना सेरामऊ दक्षिणी जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 30 वर्ष
2. अताब अली पुत्र श्यामुद्दीन निवासी ग्राम नब्बी नगला थाना कादर चौक जनपद बदायूँ उम्र करीब 23 वर्ष

गिरफ्तारी का दिनाँक,समय व स्थान का विवरण-

दिनांक-04.08.2026, समय करीब 22.37 बजे, कोलाघाट पुल रामगंगा नदी के पास कच्चे रास्ते से,थाना मिर्जापुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 164/26 धारा 191(2)/191(3)/126(2)/109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना मिर्जापुर

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त आदेश उर्फ धीरू तिवारी-

1. मु0अ0सं0- 164/26 धारा 191(2)/191(3)/126(2)/109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना मिर्जापुर
2. मु0अ0सं0 208/19 धारा 380/457 भादवि थाना जलालाबाद
3. मु0अ0सं0 393/19 धारा 411/458 भादवि थाना जलालाबाद
4. मु0अ0सं0 405/19 धारा 380/457/511 भादवि थाना जलालाबाद
5. मु0अ0सं0 277/19 धारा 307/34 भादवि थाना रामचन्द्र मिशन
6. मु0अ0सं0 281/19 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना रामचन्द्र मिशन
7. मु0अ0सं0 563/19 धारा 380/411/457 भादवि सदर बाजार

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त आदेश उर्फ धीरू तिवारी पुत्र गंगासेवक तिवारी उपरोक्त से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं पहले चोरी-चकारी करता था तथा मेरे विरुद्ध थाना जलालाबाद, रामचन्द्र मिशन, सदर बाजार एवं सेहरामऊ दक्षिणी में मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनमें मैं जेल भी गया था। जेल में मेरी मुलाकात राघवेन्द्र से हुई थी। उसने मेरी मुलाकात चांदनी किन्नर से कराई। मेरे पास रुपयों की तंगी थी, इसलिए मेरी जमानत कराने तथा अपील में राघवेन्द्र एवं चांदनी किन्नर ने रुपये खर्च करके मेरी मदद की थी। मैं दिनांक 17.07.2026 को चांदनी एवं राघवेन्द्र के बुलाने पर म्याऊ गया था। वहाँ चांदनी एवं राघवेन्द्र ने कहा कि तुम्हें हमारा सोनम किन्नर से बदला लेना है। हमने लड़के एवं असलाह तैयार कर लिए हैं। इसके बाद योजना बनाकर चांदनी अपनी गाड़ी से चित्रकूट चली गई। दिनांक 24.07.2026 को मैं राघवेन्द्र, रवि उर्फ रविया, आसिफ तथा अताब के साथ म्याऊ में एकत्रित हुआ। राघवेन्द्र ने म्याऊ में हम लोगों के मोबाइल फोन बंद कराकर अपने पास रख लिए। हम सभी लोगों के पास तमंचे थे। राघवेन्द्र ईको गाड़ी लेकर आया और लगभग 04:30 बजे हम लोग म्याऊ से थाना कलान की ओर आ गए। इसके बाद हम लोगों ने साथ में शराब पी। राघवेन्द्र की बगल वाली सीट पर रवि उर्फ रविया बैठा था तथा ड्राइवर सीट के पीछे आसिफ बैठा था। बीच में मैं तथा एक सिरे पर अताब बैठा था। हम लोग लगभग 07:00 बजे घटनास्थल के पास सुनसान स्थान पर खड़े हो गए। राघवेन्द्र बार-बार अपने फोन में कुछ कर रहा था। अचानक एक गाड़ी को देखकर राघवेन्द्र अपनी ईको गाड़ी से ट्राइबर गाड़ी के पीछे लग गया। एक मोड़ से थोड़ा पहले उसने अपनी ईको गाड़ी से कट मारा, जिससे ट्राइबर गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। जब तक उसमें बैठे लोग संभल पाते, हम सभी लोग अपनी ईको गाड़ी से निकलकर उन पर लगातार फायरिंग करने लगे तथा इसके बाद रामगंगा की ओर अपनी गाड़ी लेकर भाग गए। रामगंगा किनारे राघवेन्द्र ने मुझे और अताब को गाड़ी से उतारते हुए कहा कि अपने-अपने घर चले जाओ, जब हम बुलाएँगे तब आ जाना। दिनांक 26.07.2026 को मेरे पास राघवेन्द्र का फोन आया और उसने कहा कि बालाजी आ जाओ। इसके बाद मैं बस से बालाजी के लिए चला गया। दौसा के पास जयपुर हाईवे पर चांदनी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ पुलिस भी आ गई थी, जहाँ हम लोगों के नाम-पते नोट किए गए थे।

अभियुक्त अताब पुत्र उपरोक्त ने बताया कि मैं ऑटो चलाता हूँ। मुझे घटना से कई दिन पहले से रवि उर्फ रविया बुला रहा था। दिनांक 24.07.2026 को मैं अपने ऑटो से म्याऊ आया, जहाँ पहले से राघवेन्द्र, आसिफ, रवि उर्फ रविया तथा धीरू मौजूद थे। राघवेन्द्र ने मुझसे कहा कि तुझे ₹50,000/- दूँगा, हमारे साथ चल। इसके बाद रवि ने मुझे एक तमंचा तथा कारतूस दे दिए। राघवेन्द्र ने मेरा मोबाइल फोन लेकर म्याऊ में ही बंद कर दिया। लगभग 04:30 बजे हम लोग ईको गाड़ी से म्याऊ से थाना कलान की ओर आ गए। कलान पहुँचने पर राघवेन्द्र बीयर लेकर आया, जिसके बाद हम लोगों ने साथ में बीयर पी। ईको गाड़ी राघवेन्द्र चला रहा था। राघवेन्द्र की बगल वाली सीट पर रवि उर्फ रविया बैठा था तथा ड्राइवर सीट के पीछे आसिफ बैठा था। बीच में धीरू तथा एक सिरे पर मैं बैठा था। हम लोग लगभग 07:00 बजे घटनास्थल के पास सुनसान स्थान पर खड़े हो गए। राघवेन्द्र बार-बार अपने फोन में कुछ कर रहा था। अचानक एक गाड़ी को देखकर राघवेन्द्र ट्राइबर गाड़ी के पीछे लग गया तथा एक मोड़ से थोड़ा पहले उसने अपनी ईको गाड़ी से कट मारा, जिससे उनकी गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। जब तक उसमें बैठे लोग संभल पाते, हम सभी लोग अपनी ईको गाड़ी से निकलकर दूसरी गाड़ी में बैठे लोगों पर फायरिंग करने लगे तथा इसके बाद रामगंगा की ओर अपनी गाड़ी लेकर भाग गए। रामगंगा किनारे राघवेन्द्र ने मुझे और धीरू को गाड़ी से उतार दिया। इसके बाद धीरू अपने घर चला गया तथा मैं अपने घर चला गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. थानाध्यक्ष मनोज कुमार, थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर
2. व0उ0नि0 सुनील कुमार, थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 चन्द्रपाल सिंह थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर
4. हे0का0 570 धर्मेन्द्र सिंह, थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर
5. हे0का0 571 दीपक मिश्रा, थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर
6. का0 2028 आकाश पुण्डीर, थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर